अब नहीं आ पाएंगे साधु के वेश में शैतान, एआई बनेगा पुलिस की शान

- पुराना दौर होगा खत्म, उज्जैन की स्मार्ट यात्रा अब होगी शुरू
- 2028 तक एआई तकनीक से बदलेगा शहर का चेहरा

एसपी प्रदीप शर्मा से नवभारत की खास बातचीत

नवभारत न्यूज

उज्जैन. सिंहस्थ में शैतान के भी आने की गुंजाइश अब न के बराबर रह जाएगी, असामाजिक तत्वों, चोर उचक्कों, बदमाशों और हिंसा फैलाने वालों की पहचान अब पुलिस नई तकनीक से करेगी. एआई का उपयोग महाकुंभ 2028 के दौरान जमकर किया जाएगा और इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है.

महाकाल की नगरी उज्जैन अब तकनीकी क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रही है. आने वाले वर्षों में यह शहर न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि तकनीकी रूप से भी देश का उदाहरण बनेगा. पुलिस कंट्रोल रूम पर आ एआई पर काम करने वाले टेक्निशियन्स का जमावड़ा लगने लगा है. उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने नवभारत को बताया कि वर्ष 2028 तक उज्जैन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कई अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू की जाएंगी. जिसका सीधा फायदा 30 करोड़ श्रद्धालुओं, आगंतुक अतिथियों, साधु-संतों और स्थानीय रहवासियों को होगा.

एआई से नियंत्रित होगा ट्रैफिक-एआई तकनीक शहर के ट्रैफिक सिस्टम, कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को पूरी तरह बदल देगी. वर्तमान में उज्जैन में अलग-अलग स्थानों पर सिग्नल का समय तय होता है, जिससे वाहन चालकों को अक्सर बिना कारण लंबे समय तक रुकना पड़ता है. अब 2028 तक लगने वाले नए एआई सिस्टम से यह समस्या खत्म हो जाएगी.

अनावश्यक जाम से मिलेगी राहत-यह प्रणाली सड़क पर वाहनों की संख्या और गति को देखकर खुद तय करेगी कि कहां ग्रीन सिग्नल देना है और कहां रुकावट रखनी है. इससे ट्रैफिक स्वत: संतुलित रहेगा और अनावश्यक जाम से राहत मिलेगी.

सुरक्षा व्यवस्था में नई क्रांति-एआई तकनीक का उपयोग केवल ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में भी इसका बड़ा योगदान होगा. शहर में जगह-जगह लगाए जाने वाले हाई-टेक कैमरे फेस रिकॉग्निशन तकनीक से काम करेंगे. इन कैमरों की मदद से अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान तुरंत की जा सकेगी.

वेश बदलकर आएगा तो पकड़ा जाएगा-अगर कोई व्यक्ति साधु या आम श्रद्धालु के रूप में भेष बदलकर आता है, तो यह सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेगा। इससे पुलिस को लगातार चेकिंग या वाहन रोकने जैसी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी. उज्जैन या बाहरी प्रदेशों से कोई भी असामाजिक तत्व वेश बदलकर श्रद्धालुओं या संतों को परेशान करने के लिए आएगा तो एआई की तकनीक से पकड़ा जाएगा.

श्रद्धालुओं की आसान होगी यात्रा- महाकाल मंदिर क्षेत्र, सैटेलाइट टाउन और पढ़ाव क्षेत्र तक एआई आधारित निगरानी और ट्रैफिक प्रबंधन की योजना बनाई गई है. इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही में सुविधा होगी और भीड़ नियंत्रण में भी आसानी रहेगी. मंदिर आने-जाने वाले मार्गों पर लगाए जाने वाले सेंसर और कैमरे न केवल यातायात को नियंत्रित करेंगे बल्कि सुरक्षा पर भी नजर रखेंगे.

तकनीक और परंपरा का संगम

उज्जैन भारत की उन चुनिंदा तीर्थनगरीयों में से एक बन जाएगी, जहां परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम देखने को मिलेगा. यह परियोजना न केवल पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली को आधुनिक बनाएगी, बल्कि आने वाले समय में उज्जैन को एक ऐसे मॉडल शहर के रूप में प्रस्तुत करेगी, जहां आस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ-साथ चलेंगे.

प्रशासन और पुलिस का संयुक्त प्रयास

उज्जैन पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर इस तकनीकी योजना को आकार दे रहे हैं. यह केवल ट्रैफिक सुधार या निगरानी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसे एक व्यापक स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातावरण मिले।एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार, हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक उज्जैन को पूरी तरह एआई संचालित सुरक्षित तीर्थ नगरी बनाया जाए, जहां हर नागरिक और श्रद्धालु को सुविधा और सुरक्षा दोनों मिलें.

मोमोस में मिला रहे थे अजिनोमोटो, परिसर में थी गंदगी

- इंदौर में फ़ास्ट फ़ूड पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
- बिना वैध लायसेंस चल रही फैक्ट्री आगामी आदेश तक बंद

इंदौर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नेहाल ही में इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब के उद्घाटन अवसर पर मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में आज कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए खातीपुरा में संचालित चिंटू मोमो का औचक निरीक्षण किया गया.

उक्त प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर दीपक चौरे का होने की जानकारी दी गई. परिसर में विभिन्न प्रकार के मोमोस बनाये जा रहे थे, जो कि इंदौर शहर में विभिन्न फ़ास्ट फ़ूड संचालकों को सप्लाई किये जाते हैं. परिसर में गंदगी मिली, रॉ मटेरियल का भंडारण उचित नहीं था, परिसर में अजिनो मोटो संग्रहित पाया गया. मौके पर उपस्थित प्रभारी वर्षा खराटे ने बताया कि उक्त अजिनोमोटो मोमोस में डाला जाता है. परिसर में खाद्य पदार्थ निर्माण हेतु आवश्यक वैध अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई. परिसर में तैयार रखे 4 प्रकार के मोमोस, मोमोस में प्रयुक्त मसाला, अजीनोमोटो, तंदूरी मसाला एवं चीज़ के कुल 7 नमूने लिए गए तथा लगभग 150 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किया गया.

12 वर्ष से कम आयु के लिए खतरनाक-परिसर में संग्रहित बड़ी मात्रा में अजीनोमोटो से यह स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थों में तय सीमा से अधिक अजीनोमोटो का उपयोग किया जा रहा है, जो की 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. वैध अनुज्ञप्ति न होने की स्थिति में तथा छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परिसर में खाद्य कारोबार को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया एवं फैक्ट्री तत्काल प्रभाव से बंद कराई गई.

सुरक्षित खाद्य सामग्री प्राथमिकता

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. लिए गए सभी नमूनों को विस्तृत जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की ओर भेजा जा रहा है, जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

Maral Overseas Limited

PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

Registered Office: Maral Sarovar, V. & P.O. Khalbujurg, Tehsil Kasrawad, Distt. Khargone - 451660, (M.P), **Phone :** +91-7285-265401-265404, 265417,
Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector – 1, Noida – 201 301 (NCR-Delhi),**CIN:** L17124MP1989PLC008255
Phone: +91-120-4390300, 4390000 (EPABX); E-mail: maral.investor@lnjbhilwara.com; Website: www.maraloverseas.com

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025

Based on the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors of Maral Overseas Limited in its meeting held on 4th November, 2025 has approved the Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2025 which has been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Un-audited Financial Results along with Limited Review Report issued by Statutory Auditors thereon, are available on the Company's website at https://www.maraloverseas.com/financial.php and can be accessed by scanning a quick response code given below:

Date : 4th November, 2025
Place : Noida (U.P.)

By order of the Board
For Maral Overseas Limited
Sd/-
Shekhar Agarwal
Chairman & Managing Director and CEO
DIN: 00066113

NOTICE TO SHAREHOLER(S) OF MARAL OVERSEAS LIMITED
Special Window for re-lodgment of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025, Shareholders whose physical share transfer requests were rejected and returned before 1st April 2019, and not re-lodged by 31st March 2021, may re-lodge transfer request after rectifying deficiencies during the special window from 7th July, 2025 to 6th January, 2026. Requests should be submitted to the Company's RTA, MCS Share Transfer Agent Ltd., 179–180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi–110020; Tel: 011-41406149–51; Email: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com. Shares will be transferred only in demat form. Lodgers must provide a demat account CML, share certificate and transfer documents. Requests after 6th January, 2026 shall not be accepted.

Government of India
Ministry of Road Transport and Highways

संबंधित व्यक्ति विवरण परिवहन वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर देख सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया ईमेल करें - आईडी: helpdesk-vahan[at]gov[dot]in and helpdesk-sarathi[at]gov[dot]in

CBC 37101/13/0012/2526

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60